व अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा

पी0ए0 केश नं0-113/2008-09

10/08/17

राजेन्द्र मुर्मू

बनाम

रैयान मौजा बड़ानदी जागीर

-: **आदेश** :-

आवेदक राजेन्द्र मुर्मू, पे0-नुनवा मुर्मू, सा0-बड़ानदी जागीर, अंचल-सुन्दरपहाड़ी, जिला-गोड्डा ने मौजा-बड़ानदी जागीर के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है।

आवेदन की प्रति अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी को भेजकर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा-बड़ानदी जागीर प्रधानी मौजा है। मौजा के गत प्रधान नुनवा मुर्मू थे। उनकी मृत्यु हो गयी है। आवेदक राजेन्द्र मुर्मू गत प्रधान नुनवा मुर्मू के एक मात्र पत्रु है।

प्रक्रिया चलने के दरम्यान विपक्षी तालाबाबु टुडू वगैरह के द्वारा आवेदन दाखिल किया गया कि मामला उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में चल रहा है। इस लिए मामला स्थगित रखा जाय। उसी आवेदन के आलोक में वाद की कार्यवाही को स्थगित रखा गया था। आवेदक राजेन्द्र मुर्मू की ओर से आवेदन दाखिल किया गया कि उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में चल रहा मामला समाप्त हो गया है। इसके बाद रैयतों की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं किया है। उन्होनें उपायुक्त, गोड्डा के आदेश के आलोक में नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक गत प्रधान के पुत्र है।

अतः अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम-1949 की धारा-6 के तहत आवेदक राजेन्द्र मुर्मू, पे0-स्व0 नुनवा मुर्मू, सा0-बड़ानदी जागीर, अंचल-सुन्दरपहाड़ी, जिला-गोड्डा को मौजा बड़ानदी जागीर, थाना नं0-12 का प्रधान नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें आदेश दिया जाता है कि एक साल का खजाना कोषागार में जमा कर चालान की प्रति के साथ कबूलियत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।